<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–900/2026</u>

<u>कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–2054/2026</u>

<u>CNR NO–UPLP–0100 –4616–2026</u>

जितेन्द्र रस्तोगी आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र राधेश्याम रस्तोगी निवासी ग्राम –खमरिया पण्डित, थाना–खमरिया, जिला–लखीमपुर खीरी। ....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य ....विपक्षी।

अ० सं०–74/2026,

धारा–317(5) बी०एन०एस०,

थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

<u>09.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–900/2026 प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र रस्तोगी** की ओर से अ०सं०–74/2026, धारा–317(5) बी०एन०एस०, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह <u>प्रथम</u> जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी राजेश कुमार पुत्र बृजलाल राजपूत नि० अदलीशपुर थाना ईसानगर खीरी का रहने वाला है। दि० 16.2.26 कि बीती रात चोर वादी के घर में घुसे और घर का काफी सामान उठा ले गए है। वादी को पूर्ण विश्वास है कि गया सामान निम्न हैं 1. 3 जोड़ी पायल 2. 2 जोडी बिछिया 3. एक जोड़ी सोने के कुंडल 4. एक मटरमाला 5.सोने की छूछी 6.29500 रू0 नगद रु० आदि सामान चोर उठा ले गए है।।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्राथी निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी की चोरी में कोई संलिप्तता अभियोजन पक्ष के द्वारा नहीं कही गयी है, न ही उससे किसी प्रकार की कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा कहा जाता है कि प्रार्थी ने चोरी का सामान खरीदकर उसको गलाकर समाप्त कर दिया है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण अभियोजन पक्ष की बात केवल कहानी का रूप है, और मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी की गिरफ्तारी मेमो में दिनांक 30.11.2026 समय 11.45 दिखायी गयी है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को फर्जी रूप से उक्त वाद में चालान किया है। प्रार्थी सीधा–साधा ग्रामीण व्यक्ति है, उसको पुलिस ने दिनांक 22.05.2026 को घर से पूछताछ के लिये थाने पर लायी थी, जहां से दिनांक 30.05.2026 को कोई बरामदगी न होने के बावजूद फर्जी व गलत तथ्यों आधार पर उपरोक्त मुकदमे में जेल भेज दिया है। प्रार्थी कमजोर व बीमार व्यक्ति है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर छूटकर जमानत सुविधा का दुरूयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान अपर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना निरस्त किये जाने की याचना की गयी। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास पर बल दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–190/26, अं० धारा–

305(a), 331(4), 317(4) बी०एन०एस०, थाना ईसानगर, खीरी, मु०अ०सं०–182/26, अं० धारा–305(a), 331(4), 317(4) बी०एन०एस०, थाना ईसानगर, खीरी, मु०अ०सं०–178/26, अं० धारा–305(a), 331(4), 317(4)बी०एन०एस०, थाना ईसानगर, खीरी, मु०अ०सं०–125/26, अं० धारा–305(a), 331(4), 317(4) बी०एन०एस०, थाना ईसानगर, खीरी, मु०अ०सं०–168/26, अं० धारा–305(a), 331 (4), 317(4) बी०एन०एस०, थाना धौरहरा, खीरी, मु०अ०सं०–168/26, अं० धारा–305(a), 331(4), 317(4) बी०एन०एस०, थाना खमरिया, खीरी व मु०अ०सं०–161/26, अं० धारा–305(a), 331(4), 317 (4) बी०एन०एस०, थाना खमरिया, खीरी पंजीकृत है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि दिनांक 28/29.05.2026 को फर्द बरामदगी जिसमें कुल छः सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी के साथ की गयी, जिनके इकबालिया बयानों में यह आया है कि उन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त को चोरी का माल बेचा था। तदुपरान्त दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया और उसके पास एक पुलिन्दा पीली धातु बरामद किया जाना कहा गया है, पीली धातु किस प्रकार की है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है एवं बरामद माल प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित माल से भिन्न दर्शित होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त नामजद आरोपी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है तथा जघन्य अपराध से संबंधित नहीं है। जहां तक अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के मुकदमों के आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो तथा यह भी कि अभियुक्त के ऊपर जो मुकदमें दिखाये गये हैं , वे सब एक साथ एक ही वर्ष में पंजीकृत किये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–30.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र रस्तोगी** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) के निजी बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तो का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग देने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।

2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।

4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं–19/एडमीन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं० 2407/1986 सुखादेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामे को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र को भी पृथक से दाखिल किया जायेगा।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
J.O.CODE–UP6081

दिनांक–09.06.2026

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.12 11:11:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court